भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4031

18.03.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

चीन के लिए राहत सामग्री भेजना

4031. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री गजानन कीर्तिकर:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोरोना वायरस से प्रभावित वुहान में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए परिवहन विमान भेजा है;

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा चीन को आपूर्ति की गई वस्तुओं के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत द्वारा उक्त सद्भावना संकेत से भारत –चीन संबंधों के मजबूत होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कोरोना वायरस से संक्रमित भारतीयों की संख्या और उनकी वर्तमान स्थिति का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) कोविड-19 प्रकोप के प्रसार से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या आवश्यक उपाय किये गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री वी. मुरलीधरन]

(क) से (ग) भारत सरकार ने चीन को 26 फरवरी, 2020 को 15 टन की चिकित्सा सहायता प्रदान की है जिसमें मास्क, दस्ताने और अन्य आपातकालीन चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। इस सामान की आपूर्ति भारतीय वायुसेना के सी-17 विमान की विशेष उड़ान द्वारा पहुंचाई गई थी जो चीन के वुहान में उतरा था। यह सहायता भारत के लोगों की ओर से चीन के लोगों के साथ मित्रता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में प्रदान की गई थी क्योंकि दोनों देश इस वर्ष कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की 70 वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। ये चिकित्सा साजो सामान वुहान, चीन में हुबई चैरिटी फैडरेशन को सौंपा गया था। प्रदान की गई चिकित्सा सहायता का ब्यौरा अनुबंध-I में संलग्न है।

(घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार विदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित भारतीय नागरिकों की संख्या का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है। संबंधित देशों में भारतीय दूतावास और स्थानीय प्राधिकारियों के सहयोग से समुचित चिकित्सा सहायता दिए जाने के संबंध में ऐसे भारतीय नागरिकों के साथ संपर्क में हैं।

(ङ.) सरकार ने भारत में कोविड-19 के प्रबंधन के संबंध में तैयारी और उठाए गए कदमों की समीक्षा करने, निगरानी करने और मूल्यांकन करने के लिए माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय मंत्री समूह (जीओएम) गठित किया है। माननीय विदेश मंत्री भी इस मंत्री समूह के सदस्य हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में अनेक परामर्शी भी जारी की है। जिसमें अभी हाल ही की 11 मार्च 2020 की परामर्शी शामिल है, जो अनुबंध-III पर दी गई है।

अनुबंध- I

चीन को भेजी गई चिकित्सा सामग्री		
क्र.सं.	**सामान का विवरण**	**मात्रा**
1.	सर्जिकल मास्क	1 लाख
2.	सर्जिकल ग्लोवस	5 लाख जोड़े
3.	इंफ्यूजन पम्पस	75
4.	ऐंटरल फिडिंग पम्पस	30
5.	डेफायब्रीलेटर	21
6.	एन 95 मास्क	4000

<u>अनुबंध- II</u>

विदेश में कोरोनावायरस से संक्रमित भारतीय नागरिकों की संख्या का ब्यौरा

क्र.सं.	देश/क्षेत्र	संक्रमित भारतीयों की संख्या
1.	हांगकांग एसएआर	1
2.	इस्लामिक इरान गणराज्य	255
3.	इटली	5
4.	कुवैत	1
5.	रवांडा	1
6.	संयुक्त अरब अमीरात	12
7.	श्रीलंका	1

<u>अनुबंध-III</u>

नोवल कोरोना वाइरस रोग हेतु समेकित यात्रा एडवाइजरी (कोविड-19)

विश्व में 100 देशों से अधिक में कोविड-19 के मामले सूचित किए गए है। इन देशों की यात्रा करने वाले व्यक्ति या जिन्होंने विदेश यात्रा की हो वे हवाईअड्डों और उनके देश में रूकने अथवा जाते समय भी कोविड-19 से पीडि़त व्यक्तियों के संपर्क में आ सकते है। इन देशों में से कुछ देशों ने संक्रमण और मौतों के बहुत अधिक मामले सूचित किए हैं और खासकर इन देशों के यात्रियों को संक्रमण के उच्च जोखिम वाले यात्री समझा जा रहा है। समय-समय पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी। वर्तमान में निम्नवत् समेकित एडवाइजरी जारी की गई हैं।

(1) मौजूदा सभी वीज़ाओं (राजनयिक, आधिकारिक, यूएन/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, रोजगार, परियोजना वीज़ा के अलावा) को दिनांक 15 अप्रैल, 2020 तक निलंबित रखा गया है। यह दिनांक 13 मार्च, 2020 को 1200 जीएमटी से प्रस्थान के स्थलों पर लागू होगा।

(2) ओसीआई कार्डधारकों को प्रदत्त वीज़ा मुक्त यात्रा सुविधा को दिनांक 15 अप्रैल, 2020 तक स्थगित रखा गया है। यह दिनांक 13 मार्च, 2020 को 1200 जीएमटी से प्रस्थान स्थलों पर लागू होगा।

(3) जो ओसीआई कार्डधारक पहले से ही भारत में हैं, वे जब तक चाहें भारत में रूक सकते हैं।

(4) पहले से ही भारत में मौजूद सभी विदेशियों के वीज़ा वैध रहेंगे और वे यदि वे चाहे तो अपने वीज़ा के विस्तार / रूपांतरण आदि के लिए अथवा किसी भी कौंसुलर सेवा की प्रदायगी के लिए ई-एफआरआरओ मॉड्यूल के माध्यम से नजदीकी एफआरआरओ/एफआरओ से संपर्क कर सकते हैं।

(5) कोई विदेशी नागरिक जो बाध्यकारी कारण के चलते भारत की यात्रा का विचार रखता है, वह नजदीकी भारतीय मिशन से संपर्क कर सकता है।

(6) पहले से ही लागू वीज़ा संबंधी प्रतिबंधों के अलावा, इटली या कोरिया गणराज्य से आने वाले/की यात्रा कर चुके यात्री और जो भारत में प्रवेश की इच्छा रखते हैं, उन्हें इन देशों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा अधिकृत नामित प्रयोगशालाओं से कोविड-19 के लिए नेगेटिव पाई गई जांच का प्रमाण पत्र लेना होगा। यह दिनांक 10 मार्च, 2020 से 0000 बजे से लागू है और यह कोविड-19 मामलों के कम होने तक एक अस्थायी उपाय है।

(7) भारतीय नागरिकों सहित चीन, इटली, ईरान, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी से दिनांक 15 फरवरी, 2020 के बाद भारत आने वाले अथवा इन देशों की यात्रा कर चुके सभी यात्रियों को न्यूनतम 14 दिनों की अवधि के लिए संगरोध पर रखा जाएगा। यह दिनांक 13 मार्च, 2020 को 1200 जीएमटी से प्रस्थान स्थल पर लागू होगा।

(8) भारतीय नागरिकों सहित भारत आने वाले यात्रियों को अनावश्यक यात्रा टालने की सलाह दी जाती है और उन्हें सूचित किया जाता है कि भारत में उनके आगमन पर उनका न्यूनतम 14 दिनों के लिए संगरोधन किया जा सकता है।

(9) भारतीय नागरिकों को पुन: सख्त सलाह दी जाती है कि वे चीन, इटली, ईरान, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी की यात्रा न करें।

(10) भारत लौटने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अपने स्वास्थ्य की स्वनिगरानी करनी चाहिए और सरकार के बताये गये विस्तृत दिशा-निर्देशों का क्या करें और क्या न करें, का अनुसरण करना चाहिए।

(11) भू-सीमाओं से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यातायात को सुदृढ़ स्क्रीनिंग सुविधाओं से युक्त नामित चैक पोस्टों तक सीमित रखा जाएगा। इनको गृह मंत्रालय द्वारा पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा।

(12) भारत में प्रवेश करने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को स्वास्थ्य अधिकारियों तथा आप्रवासन अधिकारियों के समक्ष डुप्लीकेट में यथोचित भरा हुआ स्व–घोषणा फार्म (वैयक्तिक विवरण अर्थात् फोन नं. और भारत में पता सहित) प्रस्तुत करना अपेक्षित है और उन्हें सभी प्रवेश स्थलों पर नामित स्वास्थ्य काउंटर पर जनिक स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा।

(13) स्वास्थ्य से संबंधित किसी पूछताछ के लिए लोग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 24*7 हेल्पलाइन नंबर (+91-11-23978046) या ई-मेल (ncov2019@gmail.com) पर संपर्क कर सकते हैं।